

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 394 ग.र / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में

21/08/2020

जमाबंदीदार श्री / श्रीमती नाइ स्वामी पिता / पति डोमन स्वामी

मौजा अपवाला लॉग थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-

में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 45 / 181 / 70-71 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अपवाला के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

## भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>अपवाला लॉग</u>	283	192	131	0.15
			111	0.24
			120	0.62
			126	0.36
				<u>1.37</u> (कुल)

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 21/08/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
अड़की।

31/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच

भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक

सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती गण्डू लक्ष्मी

पिता/पति डोगन लक्ष्मी मौजा- ठपुवाला थाना-अड़की,

जिला-खूँटी के नाम से मौजा- ठपुवाला थाना नं० 282 खाता सं० 19

प्लॉट सं० 131, 111, 120, 126 रकबा- 0.15.0.240.620.36 लगान 2.74 रुपये अलावे

शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुसूच

ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- ठपुवाला

लांग थाना नं० 282 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर

ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।